संयुक्त निदेशक का कार्यालय,
बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र,
जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना

Email ID-fmiscbihar@gmail.com

पत्रांकः–बा०प्र०सु०स०के०–03 / 2012–(अंश–2)– 715 पटना / दिनांक–25/06 / 2026

अल्पकाली नीलामी आमंत्रण सूचना संख्या–01 / 2026–27

एतद् द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है बिहार वित्त नियमावली के नियम 143 (i) (ख) के आलोक में बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र एवं गणितीय प्रतिमान केन्द्र, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना अन्तर्गत के अधीन **41 अदद यंत्र–संयंत्र की सूची प्रपत्र (अ) में वर्णित अनुपयोगी सामानों की नीलामी किया जाना है ।**

इन सामाग्रियों का मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर सामूहिक नीलामी जैसे है उसी स्वरूप में के आधर पर इस कार्यालय हेतु दिनांक–15 / 07 / 2026 को बजे 2:00 अपराहन दिन में बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, जल संसाधन भवन, ब्लॉक–'ए' दूसरा तल्ला, अनिसाबाद, पटना के कार्यालय में की जायेगी, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	**अनुपयोगी यंत्र/संयत्र/उपस्कर की विवरणी**	**नीलामी की न्यूनतम बोली (रूपये में)**	**सुरक्षित जमा राशि (रूपये में)**	**नीलामी तिथि / समय**
1.	2.	3.	4.	5.
1.	सूचना पट्ट पर संलग्न सूची के अनुसार	36,665.00	2000.00	15 / 07 / 2026 2:00 बजे अपराह्न

नीलामी की शर्ते :–

1. इच्छुक फर्म /आवेदक दिनांक–03 / 07 / 2026 से दिनांक–13 / 07 / 2026 तक कार्यालय अवधि में (शानिवारीय, रविवारीय एवं अन्य सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित अनुपयोगी यंत्र / संयत्रों की सूची देख सकते है ।
2. नीलामी सभी अनुपयोगी यंत्र / संयत्रों एवं उपस्करों जहॉ है, जो भी है, जैसे भी है, के आधार पर नीलामी संपन्न होगी ।
3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अग्रधन / प्रतिभूति की राशि (कॉलम–4 पर अंकित) दिनांक–13 / 07 / 2026 के 4:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना के कार्यालय में आवेदन के साथ जमा करना होगी । अग्रधन की राशि Demand draft जो संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना के पदनाम से निर्गत हो Payble at SBI Sichai Bhawan, Patna में भुगतेय हो। जमा करने के पश्चात् ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी । निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन एवं सुरक्षित जमा राशि स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।
4. नीलामी में सफल बोली कर्ता को बोली के मूल्य का बिहार वित्त नियमावली के नियम 145 के कंडिका–4 के अनुरूप बोली मूल्य के 25 प्रतिशत सफल होने की घोषणा के साथ ही नगद/ डिमान्ड ड्राफ्ट जो संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना के पदनाम से निर्गत हो Payble at SBI Sichai Bhawan, Patna में भुगतेय हो, जमा करना होगा ।
5. कुल बोली की राशि के अन्तर्गत ही 18 प्रतिशत GST की राशि समाहित होगी । नीलामी की शेष राशि का बैंक ड्राफ्ट / डिमान्ड ड्राफ्ट तैयार करने की तिथि को ही Revers Charge Mechanisn (R.C.M) के तहत GST की राशि चालान सहित उक्त बैंक ड्राफ्ट / डिमान्ड ड्राफ्ट जमा करना होगा ।
6. जिस माह में भुगतान किया जायेगा, उस माह का GST R-1 एवं GST R-3B कार्यालय में मासिक / त्रैमासिकजमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें इस राशि का RCM का Details अंकित हो
7. न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम की बोली अलाने की अनुमति नही होगी ।
8. आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST एवं घोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।
9. संलग्न घोषणा पत्र को Affidavit के रूप में समर्पित करना होगा ।
10. नीलामी की प्रक्रिया में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी / पदाधिकारी एवं उनके पारिवारिक सदस्य भाग नही लेंगे ।

11. नीलामी के सफल बोलीदाता को नीलामी की शेष राशि बैंक ड्राफ्ट/डिमान्ड ड्राफ्ट जो संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना के पदनाम से निर्गत हो Payble at SBI Sichai Bhawan, Patna में भुगतेय हो, के रूप में अगले तीन दिनों के अन्दर संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना के कार्यालय में जमा करना होगा। तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा विमुक्त आदेश निर्गत किया जायेगा । उक्त अवधि के अन्तर्गत नीलामी की राशि जमा नहीं करने पर अग्रधन एवं सुरक्षित जमा की राशि जप्त कर ली जायेगी एवं दूसरे नंबर पर आनेवाले बोलीदाता को दर–वार्ता के उपरानत सफल घोषित किया जा सकता है । इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा ।
12. सफल बोलीदाता को अपनी लागत और जिम्मेवारी पर 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर नीलामी की गई सामग्रियों को उठवा लेना होगा अन्यथा किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जवाबदेही विभाग को नहीं होगी ।
13. विमुक्त आदेश निर्गत होने के पश्चात् 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर नीलामी की गई सामग्रियो को संबंधित स्थल से उठाव सुनिश्चित करना होगा । विलम्ब की स्थिति में प्रतिदिन की रूपये 1000 (एक हजार) दर से दण्ड किराया देना होगा ।
14. बिना कारण बताए किसी भी समय नीलामी के प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित के पास सुरक्षित रहेगा तथा उनका निर्णय अंतिम होगा ।
15. सफल बोलीदाता को अपने व्यय पर सामग्री के उठाव एवं परिसर के साफ–सफाई के कार्य अनिवार्य होगा । नीलामी की गई सामग्रियों का उठाव इस प्रकार करना होगा कि परिसर में अवस्थित अन्य भवनों अथवा परिसर में अवस्थित/अधिष्ठापित अन्य सामग्रियों/वस्तुओं /यंत्रों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति न हो अन्यथा संबंधित फर्म /आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति जमा करने की बाध्यता होगी ।
16. असफल बोलीदाता को नीलामी के 07 (सात) दिनों के बाद आगामी कार्य दिवस में सुरक्षित जमा राशि वापस किया जायेगा ।

25/06/26
(विजय कुमार)
संयुक्त निदेशक

पत्रांकः–बा०प्र०सु०स०के०–03/2012–(अंश–2)– 715 पटना/दिनांकः–25/06/2026

प्रतिलिपिः–श्री धीरज कुमार सिंह, बेवमास्टर/वेब अभिकल्पन विशेषज्ञ/श्री प्रेम कुमार, सॉफ्टवेयर अभियंता/प्रोग्रामर विशेषज्ञ, गणितीय प्रतिमान केन्द्र को कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें ।

अनु०:–कोटेशन आमंत्रण का सॉफ्ट कॉपी ।

25/06/26
(विजय कुमार)
संयुक्त निदेशक

पत्रांकः–बा०प्र०सु०स०के०–03/2012–(अंश–2)– 715 पटना/दिनांकः–25/06/2026

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता (आई०टी०), योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल–2, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

अनु०:–कोटेशन आमंत्रण का सॉफ्ट कॉपी ।

25/06/26
(विजय कुमार)
संयुक्त निदेशक

पत्रांकः–बा०प्र०सु०स०के०–03/2012–(अंश–2)– 715 पटना/दिनांकः–25/06/2026

प्रतिलिपिः–सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं न्यूनतम तीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

अनु०:–कोटेशन आमंत्रण का सॉफ्ट कॉपी ।

25/06/26
(विजय कुमार)
संयुक्त निदेशक